

ऑन लाईन नं. RCMS2023/43

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 27 / 2023

श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास

—खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक—

मै० शंकर स्वीट एण्ड मावा भण्डार, उदा राम चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर—335001।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) / 58


निर्णय

दिनांक : 31.03.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया। व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक निदेशालय के आदेश क्रमांक:—खाद्य सुरक्षा/ निदे०/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.12.2022 को 2.30 पी.एम. को मै० शंकर स्वीट एण्ड मावा भण्डार, उदा राम चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर एल्युमिनियम ट्रे में लगभग 5 किलोग्राम रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान/दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) में से 2 किलोग्राम रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) का नगद भुगतान 360/- रुपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।


अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर




आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) को बराबर-बराबर भागों में बांटकर लिया। 4 भागों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1616 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा के कोड व क्रमांक के-1616 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/04/एक्ट/2023/04 दिनांक 10.01.2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1616 Containing extraneous** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास मै0 शंकर स्वीट एण्ड मावा भण्डार, उदा राम चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।


जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।


अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मै0 शंकर स्वीट एण्ड मावा भण्डार, उदा राम चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/328 दिनांक 22.02.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) की जांच की गई तो रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) Containing extraneous पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) का सैम्पल K-1616 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/04/एक्ट/2023/04 दिनांक 10.01.2023 द्वारा Containing extraneous होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मै0 शंकर स्वीट एण्ड मावा भण्डार, उदा राम चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/328 दिनांक 22.02.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) की जांच की गई तो रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) Containing extraneous पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त रसगुल्ला मिठाई (छैना मिठाई) में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Rasgulla (Chhena Mithai)" bearing Code No and Sr. No. K-1616 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Food Containing extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food Safety & Standards Act 2006 due to added starch Found present. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।


अति. जिला कलेक्टर (स्वास्थ्य)
श्रीगंगानगर



फलस्वरूप अभियुक्त महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में महेश कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. हरीतिमा)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर